



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2015/फाल्गुन 27, 1936

No. 152]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2015/PHALGUNA 27, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2015

सा.का.नि. 203(अ).—ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियम, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33 के साथ पठित धारा 12 द्वारा यथापेक्षित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 350(अ), तारीख 23 मई, 2014 को प्रकाशित किए गए थे और उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां, 28 मई, 2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त नियमों की बाबत, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33 के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि और प्रसाधन सामग्री (द्वितीय संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में,—

(क) अनुसूची थ के भाग 1 में,—

(i) प्रविष्टि “रिसोर्सिन ब्राउन” और स्तंभ (2) तथा स्तंभ (3) में आने वाली उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ii) प्रविष्टि “सोल्वेंट रेड 1” और स्तंभ (2) में आने वाली उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ख) अनुसूची ध में क्र.सं. 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- “31. लिक्विड फाउंडेशन मेक-अप आई एस 14318
- 32. कोल्ड वैक्स-हेयर रिमूवर आई एस 15152
- 33. फेश पैक आई एस 15153
- 34. काजल आई एस 15154
- 35. आक्सीडेशन हेयर डाईज (इमल्शन टाइप) आई एस 15205
- 36. क्रीम ब्लीच आई एस 15608” ।

[सं.एक्स.11014/06/2013-डीएफक्यूसी]

कुन्दन लाल शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.107 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2015

G.S.R. 203(E).—Whereas certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, was published *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health and Family Welfare *vide* number G.S.R. 350(E), dated the 23rd May, 2014, as required by section 12 read with section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette of the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the Gazette were made available to the public on the 28th May, 2014;

And, whereas, objections and suggestions received from the public on the said rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 12 read with section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:—

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (Second Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945;—
 - (a) in Schedule Q, in Part I,—
 - (i) the entry, “Resorcin Brown” and entries relating thereto occurring in columns (2) and (3) shall be omitted,

- (ii) the entry, "Solvent Red 1" and entries relating thereto occurring in columns (2) shall be omitted.
- (b) in Schedule S, after serial number 30 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

- "31. Liquid foundation make-up IS 14318
- 32. Cold Wax-Hair remover IS 15152
- 33. Face pack IS 15153
- 34. Kajal IS 15154
- 35. Oxidation Hair Dyes (Emulsion type) IS 15205
- 36. Cream Bleach IS 15608".

[F. No. X. 11014/06/2013-DFQC]

K. L. SHARMA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Official Gazette vide notification No. F.28-10/45-H (1) dated 21st December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R. 107(E) dated the 17th February, 2015.